

न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर) नेशनल हाईवे अजमेर

प्रकरण संख्या 102/2017

1. रामकरण पुत्र रामदेव जाति यादव, निवासी श्रीनगर, अजमेर।

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जी-586, सेक्टर नं० 10 द्वारका, नई दिल्ली जरिये परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकृत 59-बी-वापुनगर (पश्चिम)रोड नं० 05 सेथी, चित्तौडगढ।

.....अप्रार्थीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 (जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध अवार्ड प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिसका अनुमोदन हेतु प्रस्तावित अवार्ड परियोजना निदेशक चित्तौडगढ को दिनांक 06.11.2015 को भेजा तथा प्रार्थी को इसकी सूचना जरिये नोटिस दिनांक 11.5.2017 को दी गई

उपरिस्थित:- 1. श्री लेखू मंघानी
2. श्री अशोक कुमार शर्मा

अभिभाषक प्रार्थी
अभिभाषक अप्रार्थी सं० 02

आदेश

दिनांक - 24.10.2018

दावा :- प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा ग्राम श्रीनगर के खसरा नं० 1536 की 0.020 हैक्टर भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए, 79, 76, एवं 8 किशनगढ-उदयपुर-अहमदाबाद खण्ड के 4 लेन से 6 लेन हेतु अधिग्रहण किये जाने हेतु नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3-ए(1) की सूचना/विज्ञप्ति दिनांक 13 व 14 . 9.2011 को दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति में प्रकाशित की गई। प्रार्थी/परिवादी की स्वामित्व की उक्त भूमि व्यवसायिक उपयोग में आ रही है। इसके सटे हुए खसरा नं० 2274/1, 2274, 2278, 2282 की भूमि का भू-परिवर्तन व्यवसायिक हो चुका है। व्यवसायिक भूमि पर दुकानों का निर्माण होकर सभी दुकाने व्यवसायिक उपयोग में आ रही हैं। अवाप्त भूमि इन दुकानों से सटी हुई है। प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्तियाँ मय दस्तावेज प्रस्तुत कर अवाप्त भूमि का व्यवसायिक उपयोग में आने एवं मौके पर अवाप्त भूमि के सटी हुई भूमि पर निर्मित दुकाने जिसमें व्यवसाय होने से मुआवजा व्यवसायिक बाजार दर से दिया जाने की मांग की गई थी। इसके बावजूद प्रार्थी को सुने बिना अवाप्ति की विज्ञप्ति में कृषि भूमि से मुआवजा दिये जाने का उल्लेख किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड में प्रार्थी की लिखित आपत्तियाँ एवं दस्तावेज का उल्लेख तो किया लेकिन इस पर किसी तरह का निर्णय नहीं दिया। अवार्ड में अवाप्त भूमि का मुआवजा कृषि दर से निर्धारित कर परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,



कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाईवे, अजमेर

परियोजना का चयन ईकाई 59-बापु नगर (परियम) रोड नं-0-5 त्रिलोडगढ़ को वास्ते अनुमोदनार्थ भिजावाया गया। भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की चौथी अनुसूची में नेशनल हाईवे एक्ट 1959 के तहत भूमि अर्वादि अधिनियम 2013 के प्राधानों अनुसार मुआवजा तय किये जाने की व्यवस्था की गई है। भूमि अर्वादि अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस में भी इन्ही प्राधानों के तहत मुआवजा तय किये जाने का उल्लेख है। भूमि अर्वादि अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार मार्केट वैल्यू का दोगुना करने के बाद उस पर 100 प्रतिशत सोलोशियम मनी जोडकर मुआवजा तय किये जाने तथा भूमि के बदले भूमि दिये जाने, प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को एक वर्ष तक तीस हजार रुपये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता, 50,000/- रुपये परिवहन खर्चा, पुर्नव्यवस्थापन भत्ता अनुग्रह राशि जो कम से कम 50,000/- रुपये इत्यादि दिये जाने की व्यवस्था की गई है। परन्तु उक्त अधिनियम में दिये गये प्राधानों के तहत परित्याग प्रार्थी /परिवादी को नहीं दिया गया। प्रार्थी की अर्वाप्त भूमि, भीलवाडा रोड फोर लेन पर स्थित है तथा आस-पास बड़े-बड़े व्यवसायिक शोरूम, रिकॉ इण्डस्ट्रीयल एरिया गंगल तथा होटलें स्थित है तथा व्यवसायिक दर 10,000/- रुपये प्रति वर्ग गज से अधिक निर्धारित है। सक्षम अधिकारी द्वारा आक्षेपित अवार्ड विना मॉक की स्थिति का अवलोकन किये तथा प्राधानों की पालना किये बिना पारित किया गया है। नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 जी (7) के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने स्टाम्प नियम 2004 में अधिसूचना क्रमांक एफ-2 (27) एफ.डी./टेक्स /2009-78 दिनांक 05.12.2010 में संशोधन कर नये नियम 58 (1 ए) (11) के अनुसार नेशनल हाईवे/मेगा हाईवे/स्टेट हाईवे से लगते हुए खसरां का मूल्यांकन 100 मीटर तक डीएलसी दर का तीन गुना मूल्यांकन करने की व्यवस्था की गई है। भूमि अर्वादि अधिनियम 2013 में डी.एल.सी. दर का 4 गुना राशि मुआवजे के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा भूमि की अर्वादि अर्वादि होने पर सोलोशियम राशि अतिरिक्त दिये जाने का प्राधान है। सक्षम अधिकारी द्वारा इन व्यवस्थाओं पर ध्यान किये बिना विधिक प्रक्रियाओं के विपरीत अवार्ड आदेश पारित किया गया है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी(2) के प्राधानों के तहत अर्वाप्त की गई भूमि के उपयोग-उपभोग से महारूम होने पर निर्धारित मुआवजे की दर प्रतिशत राशि मालिक को अदा करने का प्राधान है। विभिन्न उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा मार्केट वैल्यू को परिभाषित करते हुए व्यवस्था दी है कि किसी सम्पत्ति की बाजार दर वह है, जो सम्पत्ति के बदले में प्रतिकल के रूप में केना, विक्रेता को अदा करता है। डीएलसी दर को सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू तय करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। नियमों के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने का प्राधान है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी (7) में स्पष्ट प्राधान है :- The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section 1 or sub section 5 as the case may be, shall take into consideration :-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under Section 3-A.



कलक्टर (अर्वादि)
नेशनल हाईवे, अजमेर

• (b) the damage, if any sustained by the person intrested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land.

• (c) the damage, if any sustained by the person interested at the time of taking possession of the land by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner or his earnings.

• (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change. के तहत भूमि का बाजार मूल्य इन्टेन्डेड लैण्ड यूज कैटेगिरी व उसके आस पास एरिया या विनसिटी के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। सक्षम अधिकारी ने मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना केवल राजस्व रेकार्ड जमावन्दी में भूमि की किरम कृषि अंकित होना मानकर कृषि दर से मुआवजा तय किया है। जबकि भूमि की मौका स्थिति के अनुसार बाजार दर से मुआवजा तय किया जाना चाहिये। नागरिक उडयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ने किशनगढ (अजमेर) में प्रस्तावित एयरपोर्ट हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा देने तथा भूमि के मालिको का पुर्नवास करने के लिए सम्भागीय आयुक्त अजमेर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 4.6.2013 में निर्णय लिया गया कि "उक्त ग्राम की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 08 से 400 मीटर की दूरी से प्रारम्भ होती है, इस क्षेत्र के पास औद्योगिक, व्यवसायिक संस्थान व आवासीय कॉलोनिया मदनगंज किशनगढ से लगती हुई है। भूमि विकसित होने से भूमि की बाजार कीमत मौके पर अधिक है परन्तु उक्त ग्राम की भूमियों की खरीद फरोख्त नही होने के कारण भूमि की डी.एल.सी. दरों में वृद्धि नहीं हुई है, कमेटी की सहमति अनुसार उक्त ग्राम की भूमि की दरे निर्धारित करने हेतु उद्घोषणा की दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी दरों में 6 गुणा वृद्धि करते हुए भूमि का मुआवजा वितरण हेतु दरें निर्धारित की गई है। " राज्य सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश व अन्य अनुमोदन किये गये तदनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजे के रूप में डी.एल.सी. दर का 6 गुणा राशि व उस पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि (सोलेशियम मनी) तथा अधिसूचना जारी करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि से 12 प्रतिशत राशि अदा किये जाने का अवार्ड पारित किया गया। तदनुसार ही प्रार्थी को मुआवजे की राशि दी जानी चाहिये। प्रार्थी/परिवादी खसरा नं० 1536 रकबा 0.2100 हैक्टर के मालिक व स्वामी है तथा मौके पर काबिज है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा, अवाप्त भूमि 200 वर्गमीटर की मार्केट वेल्यू 10,000/- प्रति वर्ग गज का दो गुना 40,00,000/-, 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि 40,00,000/-, रा-पु-पु नीति 2007 के प्रावधानों के तहत सहायता राशि रुपये- 2,30,000/-, 30,0000/- रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता 3,60,000/- मुआवजे पर ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक-7,30,000/- इस प्रकार कुल 93,20,000/- अक्षरे तिरानवे लाख बीस हजार रुपये दिलाये जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।



कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाइवे, अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी० को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अभिमाषक उपरिश्त आये। भूमि अर्वादि अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी सं० 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि :-

प्रतिरक्षण :- राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 ए के 16.000 कि.मी. से 35.000 कि.मी. तथा 79 के 15.000 कि.मी. से 34.400 कि.मी. तक के भूखण्ड(किशनगढ-चित्तौडगढ सेक्शन) के निर्माण (बौद्धा करने/चार/छह लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोकर प्रयोजन के लिए ग्राम श्रीनगर के खसरा नं० 1536 की रकबा 0.02 हैक्टयर भूमि किस्म चाही 11 की अर्वादि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन दिनांक 30.10.2012 के तहत की गई है। अर्वात्त भूमि का मुआवजा राजस्व रिकार्ड के अनुसार कृषि होने से उच पंजीयक नसीराबाद से प्राप्त जिला स्तरीय सन्निधि द्वारा निर्धारित दर 2,53,000/- रूपये प्रति बीघा से अर्वात्त भूमि अनुसार मुआवजा राशि में 10 प्रतिशत सुखाचार राशि जोडकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। भूमि अर्वादि अधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् अर्वात्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु विस्तृत रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 02 को भेजी गई। इस काम में भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (D) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 28.10.2013 को जारी कर अधिसूचना का भारत सरकार का राजपत्र का प्रकाशन दो हिन्दी भाषी दैनिक समाचार पत्रों में करवाया गया। अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर हितबद्ध पक्षकारान द्वारा धारा 3 (c) की उपधारा 2 के तहत प्रस्तुत आपत्तियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 (c) की उपधारा 3 के तहत निस्तारण किया गया। प्रार्थी/परिवादीगण द्वारा प्रश्नगत अर्वात्त भूमि का बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये, अन्य व्यक्तियों की भू-उपयोग परिवर्तित भूमि का आधार बनकर मुआवजों की मांग किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन की दिनांक 30.10.2012 को अर्वात्तशुदा भूमि की किस्म व्यवसायिक नहीं होकर कृषि भूमि थी। प्रार्थी का उक्त अर्वात्तशुदा भूमि खसरा नं० 1536 में राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातदारी में अंकित भूमि के खातेदार अनुसार मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने बिना रूपान्तरण के भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो विधि के प्रावधान के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के किस्म के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजे का निर्धारण कर अर्वाड परित किया गया है। इस अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलगनों से मुक्त होकर आर्थिक रूप से केन्द्र सरकार में अन्तिम रूप से निहित होने से इसे किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती है। अर्वात्त शुदा भूमि को अर्वात्त से मुक्त करने की शक्तियाँ माननीय न्यायालय पत्र निर्णायक को प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा आधारहीन, काल्पनिक एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/परिवाद पोषणीय नहीं होने से मय हर्ज खर्च खारिज योग्य है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर मुख्यतः वाद विन्दू कायम किया गया।

वाद विन्दू :-



कलेक्टर (असई दंडेर)
भयानल काश्य, अजमेर

• आया प्रार्थी/परिवादी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए, 79, 76, एवं 8 किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड के 4 लेन से 6 लेन के लिए ग्राम श्रीनगर तहसील एवं जिला अजमेर की अवाप्त भूमि खसरा नं0 1536 के रकबा 200 वर्ग मीटर का मुआवजा व्यवसायिक बाजार दर से तथा भू0अवा0अधि0 की धारा 26 के तहत नेशनल रिहेव्लिटेशन एण्ड री-सेटलमेंट पॉलिसी 2007 व रा.पु.व.पु.नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुरूप अन्य सहायता, स्थानान्तरण राशि प्राप्त करने के अधिकारी है ?

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे/प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा वाद बिन्दुओं को तय किये जाने का प्रयास किया गया।


आपसी सहमति :- माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत कायम वाद बिन्दु पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान किसी भी बिन्दु पर सहमति नहीं बन पाई।

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने के आग्रह पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बिन्दुवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

• आया प्रार्थी/परिवादी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए, 79, 76, एवं 8 किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड के 4 लेन से 6 लेन के लिए ग्राम श्रीनगर तहसील एवं जिला अजमेर की अवाप्त भूमि खसरा नं0 1536 के रकबा 200 वर्ग मीटर का मुआवजा व्यवसायिक बाजार दर से तथा भू0अवा0अधि0 की धारा 26 के तहत नेशनल रिहेव्लिटेशन एण्ड री-सेटलमेंट पॉलिसी 2007 व रा.पु.व.पु.नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुरूप अन्य सहायता, स्थानान्तरण राशि प्राप्त करने के अधिकारी है ?

इस बिन्दु बाबत प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत कर अवाप्त भूमि का मुआवजा व्यवसायिक, बाजार दर से दिये जाने का अनुरोध इस आधार पर किया कि प्रश्नगत खसरा नं0 1536 रकबा 0.02 है0 भूमि मौके पर व्यवसायिक उपयोग में आ रही है। इस भूमि के सटी हुई खसरा नं0 2274/1, 2274, 2278, 2282 का वाणिज्यिक भू-परिवर्तन हो चुका है। अवाप्त भूमि भीलवाडा रोड फोर लेन पर स्थित है तथा आस-पास बड़े-बड़े व्यवसायिक शोरूम, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया गेगल तथा होटलें स्थित हैं जहाँ व्यवसायिक दर 10,000/- रुपये प्रति वर्ग गज से अधिक निर्धारित है। मौके पर प्रार्थी की दुकाने निर्मित है जिसमें व्यवसाय होता है। नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 जी (7) के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने की व्यवस्था है। सक्षम अधिकारी द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना तथा प्रस्तुत लिखित आपत्तियों पर निर्णय पारित किये बिना मुआवजा कृषि दर से निर्धारित कर वास्ते अनुमोदनार्थ भिजवाया गया, जो विधिक आधार नहीं है। भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की चौथी अनुसूचि में नेशनल हाईवे एक्ट 1959 के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों अनुसार मुआवजा तय किये जाने की व्यवस्था होने के बावजूद प्रावधानों के तहत परिलाभ


कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाइवे, अजमेर

प्रार्थी/परिवादी को नहीं दिया गया। विभिन्न उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा मार्केट वैल्यू को परिभाषित करते हुए व्यवस्था दी है कि किसी सम्पत्ति की बाजार दर वह है, जो सम्पत्ति के बदले में प्रतिफल के रूप में केता, विक्रेता को अदा करता है। डीएलसी दर को सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू तय करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। नियमों के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने का प्रावधान है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी (7) के तहत भूमि का बाजार मूल्य इन्टेन्ड लेण्ड यूज कैटेगिरी व उसके आस पास एरिया या विनसिटी के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। अर्थात् भूमि का मूल्यांकन वर्तमान बाजार दर से तथा भूमि अर्वादि अधिनियम की धारा 26 के तहत नेशनल रिहब्लिटेशन एण्ड सी-सेटलमेंट पॉलिसी 2007 व रा.पु.व.पु. नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुसार सहायता राशि, स्थानान्तरण राशि जोड़कर मुआवजा दिया जावे।

जबकि अप्रार्थी का तर्क है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम श्रीनगर के खसरा नं0 1536 में से रकबा 0.02 हैक्टयर भूमि निजी किस्म चाही II की अर्वादि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन दिनांक 30.10.2012 के तहत की गई है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज खातेदारों के नाम उप पंजीयक नसीराबाद से प्राप्त जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर 2,53,000/- रूपये प्रति बीघा से अर्वात् भूमि अनुसार मुआवजा राशि में 10 प्रतिशत सुखाचार राशि जोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। खसरा नं0 1536 में से रकबा 0.02 है0 भूमि निजी किस्म चाही II राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाणिज्यिक भूमि ना हाकर कृषि भूमि होने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि को कृषि भूमि मानकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार मुताबिक राजस्व रेकार्ड मुआवजा निर्धारित कर अर्वाड पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में यह वाद विन्दु विरुद्ध प्रार्थी तय किया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम विनिरवय हेतु उपरोक्त विन्दु अप्रार्थीनाप के पक्ष में तय किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन की दिनांक 30.10.2012 को अर्वात्प्रशुदा भूमि की किस्म व्यवसायिक नहीं होकर कृषि भूमि थी, तदनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप मुताबिक राजस्व रेकार्ड मुआवजा का नियमानुसार निर्धारण कर अर्वाड पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अर्वादि) द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट के प्रावधानों की पालना की गई है। अतएव-

आदेश।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सक्षम अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नेशनल हाईवे को हस्त कायदा प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुनाया गया।

(आरती जंगर)

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)

नेशनल हाईवे, अजमेर

